पश्चिमी चम्पारण के थारूओं के वैवाहिक रीति–रिवाज : एक अध्ययन

डॉ0 कामेश्वर प्रसाद
पी–एच0 डी0 (इतिहास विभाग), बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

सार–संक्षेप

भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरा पड़ा है। बिहार राज्य के चम्पारण जिले में थारू जाति एक ऐसी जन–जाति है, जो सामान्य से विभिन्नता को लिए हुए पश्चिमी चम्पारण के लंबे भू–भाग में सदियों पूर्व से अवस्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इनका मुख्य क्षेत्र पाँच प्रखंडो यथा–सिघांव, बगहा–II, रामनगर, गौनाहा तथा मैनाटांड है जो 800 वर्ग मील मे फैला है तथा इनकी आबादी लगभग 3 लाख है। हिमालय के शिवालिक श्रृंख्ला के दक्षिण तराई में एक सर्वथा अनूठी जन–जाति है जिसे थारू कहते है। थारूओं के निवास स्थल को 'थरूहट' कहा जाता है। थारू एक अद्भूत, अद्वितीय तथा विचित्र जन–जाति हैं क्योंकि पूर्व समय से ही ये अन्य जन–समूहों से बिल्कुल एकाकी जीवन व्यतीत करते आए हैं। इसी का प्रतिफल हैं कि ये आज भी अपनी सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रखने में सक्षम हुएहै। ये स्वभावतः कृषक हैं तथा कृषि छोड़कर दूसरे व्यवसाय को नापसंद करते हैं। इनका जीवन सरल, सरस, निष्कपट, निश्छल तथा सादगी से भरा होता हैं। विवाह एक सामाजिक बंधन हैं। वय के अनुसार प्रायः एक दिन सभी लड़के एवं लड़कियाँ शादी के पवित्र बंधन में बँध जाते हैं। यह प्रकृति का एक शाशवत[1] सत्य नियम हैं। यदि यह बंधन न होता तो नर भी नर पशु के सामान व्यहृत होता। इसलिए कोई भी धर्म मानने वाले हो, यह संस्कार सभी को मान्य हैं।

शब्द कुंजी– जनजातीय, गवना, सामिष, गजुआ, गजुईन, रंगरेज

परिचर्चा

थारूओं का भी वैवाहिक रीति–रिवाज बड़ा रोचक हैं। एक दशक पूर्व तथा थारूओं में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। छोटे–छोटे बच्चों की शादी जो जाया करती थी। 4 साल तक के बच्चों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता था। बड़े होने पर इन्हे होश भी नहीं रहता कि मेरी शादी कैसे हुई? एक ही परिवार के कई बच्चे–बच्चियों कि शादी एक ही मण्डप में हो जाया करती थी। बच्चें के शादी के बाद दुल्हन सिर्फ एक के रात लिए दुल्हा के घर आती थी फिर दूसरे दिन नैहर वापस चली जाती थी। लड़का एक लड़की के जवान होने पर गवना (द्विरागमन) होता था, तब दुल्हन लड़के के घर पर रहती थी।

पूर्व से लेकर आज तक थारूओं में तिलक–दहेज की प्रथा नही रही हैं। इनमे ये बहुत ही अच्छी प्रथा कही जाएगी। देश के कुछ अन्य जनजातीय समूह में यद्यपि यह प्रथा थोड़े बहुत मिल जाया करती हैं। थारूओं में वर एवं वधु पक्ष की ओर से लड़का–लड़की पसंद होने पर दोनों पक्षों की ओर से

अलग–अलग सामिष भोजन देना पड़ता हैं। इस भोज के बाद से लड़का–लड़की की शादी पक्की समझी जाती हैं।

लड़का–लड़की की शादी का प्रस्ताव पहले लड़की पक्ष वाले लड़का पक्ष वाले के घर लेकर जाते हैं। फिर लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष की ओर जाते हैं। फिर शादी के तीन चार रोज पहले 'हल्दी–धान' बांटने का रस्म पूरा होता हैं। लड़का पक्ष वाला लड़की के यहाँ तथा लड़की पक्ष वाला लड़के के यहाँ नई कपड़े में एक–डेढ़ किलो धान तथा थोड़ा सा हल्दी लेकर जाते हैं और वह भोजनोपरांत धान–हल्दी वही छोड़ देते हैं। यह प्रथा हल्दी–धान बँटाई कहलाती हैं। उस हल्दी को कूट–पिसकर दोनों पक्षवाले वर–वधू को कटी भाग छोड़कर पुरे शरीर में लगाते हैं। हल्दी लगाने का रश्म दो–तीन दिन तक चलता हैं। हल्दी शाम को लगाई जाती हैं। हल्दी लगाते समय स्त्रियाँ गाना गाती है।

थारूओं के शादी में 'गजुआ' 'गजुईन' का विशेष महत्व होता है[2]। दोनो पक्षों में अलग–अलग गजुआ, गजुईन होते है। गजुआ वर–वधु का बहनाई या फूफा होता हैं जबकि गजुईन वर या वधु की बहन या फूफू होती हैं। यही गजुआ–गजुईन थारू से सारे वैवाहिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विवाह के प्रारम्भ से अंत तक विभिन्न थारू रश्मों को निभाते हैं। गजुआ वर के साथ बारात में जाता हैं तथा वर का पूरा देखभाल करता हैं।

वैसे तो थारू में बाल–विवाह प्रथा है, किन्तु लड़का–लड़की जब वयस्क हो जाते हैं, तब इनका गवना (द्विरागमन) होता हैं। गवना के समय गजुआ–गजुईन कि आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। गवना के समय लड़की वाले लड़के को अनेक डलिया में भरा हुआ चावल, चिउड़ा के अलावे अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने के लिए चारपाई या पलंग, आलमारी, कुर्सी, टेबल इत्यादि सामान देते हैं। इनके अलावे मिट्टी के पात्र में (हाँडी) कसार तथा मिठाई भी लड़के वाले को देते हैं। इसी तरह लड़का के तरफ से भी हॉडी में कसार तथा मिठाईयाँ बारात के समय लड़की के मायके जाता हैं।

पहले थारू दूल्हा पालकी पर बारात जाता था। बारात में बैलगाड़ी ही एक मात्र सवारी थी। बैलगाड़ी के अलावे लोग पैदल भी चल जाते थे लेकिन आज आधुनिकता ने इनके बारात पर काफी प्रभाव डाला हैं। अब दूल्हें के लिए कोई तेज सवारी जैसे– कार, जीप होना आवश्यक हो गया हैं। बारात में बैलगाड़ी का स्थान ट्रैक्टर, टेलर तथा जीप–कार ने ले लिया हैं। पैदल के जगह मोटर साइकिल सवारी हो गयी हैं। पहले बाजे के रूप में ढ़ोल–ताशा या लॉउडस्पीकर होता था किन्तु अब बैंड बाजा की प्राथमिकता हो गई हैं। नाच की जगह विडियों ने ले लिया हैं। पहले रंगरेज ही पटाखा–बम बनाकर उड़ाते थे, किन्तु अब विविध किस्म के रेडीमेड पटाखा उड़ाया जा रहा है, जिसमे ं रंगरेज

की आवश्यकता खत्म हो गयी हैं। इतना ही नहीं चार–पाँच दशक से अब इनकी शादी ब्राह्मण द्वारा कराई जाने लगी हैं जबकि पहले शादी में ब्राह्मण की आवश्यकता कुछ ही सम्पन्न परिवार में पड़ती थी।

थारूओं में विधवा विवाह प्रचलित हैं। किसी स्त्री के पति की मृत्यु के पश्चात वह दुबारा शादी कर सकती हैं। इसी तरह किसी पुरूष की पत्नी की मृत्यु के पश्चात् वह दुबारा शादी कर सकता हैं। ऐसे विवाह में किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं हैं। थारूओं में एक पत्नी की प्रथा हैं। यह एक सामाजिक वैधता हैं। यदि कोई पुरूष इस नियम का उल्लंघन करता हैं तो उसे सामाजिक दंड मिलता हैं।

भारतीय थारू कल्याण महासंघ का प्रथम महाधिवेशन 1971 में सुभद्र नामक स्थान में हुआ। यहाँ भारतीय थारू कल्याण महासंघ ने "भारतीय थारू कल्याण महासंघ का संविधान एवं विवाह संहिता" का प्रारूप तैयार कर स्वीकृत किया। इस विवाह संहिता से थारू समाज की बहुत सारी रूढ़िया भंग हुई हैं। विवाह में दहेज–प्रथा का तो सर्वथा अंत हो गया हैं। बाल विवाह जैसी कुरीति का भी सफाया हो गया हैं। अब थारूओं में भी लड़के–लड़की के वयस्क होने पर ही शादी की जाती हैं। थारू विवाह संहिता के अनुसार शादी में फिजूल खर्ची पर रोक लगाई गई हैं। शादी में यथासंभव शाकाहारी भोजन होना चाहिए। विवाह संहिता लागु होने के बाद थारूओं के शादी में खर्च में काफी कमी आई हैं[3]।

विवाह करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि दोनों परिवारों की आर्थिक अवस्था अच्छी है, परिवारों कि सामाजिक प्रतिष्ठा हो और कोई सदस्य किसी दूसरी जाति के स्त्री के साथ भागा नहीं है या उससे शादी नहीं की हैं। परिवार के किसी सदस्य को कोढ़ नहीं है। परिवार पर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव नहीं है तथा लड़का और लड़की शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है।

थारू समाज में तलाक प्रथा भी पाया जाता हैं। तलाक करने के कई कठोर नियम हैं। यदि किसी पति को अपनी पत्नी से तथा पत्नी को अपने पति से संबंध अच्छा नहीं रहता है। बराबर विवाद रहता है तब उभय पक्षों में से कोई भी तलाक दे सकता हैं। पुरूष अपनी स्त्री की मृत्यु के उपरांत अपनी साली से भी विवाह कर सकता है। स्त्री–पुरूष के संबंध ठीक न रहने पर एक–दुसरे के चरित्र पर आशंका होने पर, व्यभिचार के शक होने पर स्त्री के बाँझ होने या पुरूष के नपुंसक होने पर तलाक किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता हैं। इसके लिए तीन शर्तें हैं– (1) वह किसी भी ऐसे पुरूष से शादी कर सकती है, जो उसे किसी भी भाँति सम्बंधित नहीं हो (2) वह अपने छोटे देवर से शादी कर सकती हैं। (3) अपने पति को घर बैठा के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। इस प्रकार थारूओं के विवाह प्रक्रिया में काफी परिवर्तन हुआ हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता हैं कि थारूओं में विवाह पद्धति परम्परागत हैं। वह अपने परम्पराओं पर आज भी चल रहा हैं। हालाँकि आधुनिकता का पुट भी उनमे शामिल हुआ

हैं। पहले दुल्हा पालकी में जाता था परन्तु अब बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं। आधुनिकता अब उनके यहाँ हावी होने लगी हैं। आधुनिकता के रंग में अब वे रंगने लगे हैं जो साफ–साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। पढ़े–लिखे थारू जो बाहर नौकरी करने लगे है वे पुरानी परंपराओं से बाहर निकलने लगे है और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव उन पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. वर्मा, प्रो0 राजेश रंजन "पश्चिम चम्पारण के थारू सामाजिक जीवन" बेतिया टाइम्स।
2. प्रसाद, डा0 शारदा– "An impact of Socio economic changes on the tribal of thrus in Pashchim Champaran"
3. सुबोध कुमार सिंह– "थारू की आवाज"
4. टेलर, एडवर्ड, "रीयर बाई एशिया" हॉगस्टीन मीफिन, 1947
5. सोता, सी लाल, बेतिया टाइम्स।